COURT FEE 2 Rs. भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

COURT FEE 2 Rs. भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

COURT FEE 2 Rs. भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

(22)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक- /08 निगरानी R 236-I/08

कल्लू पुत्र धसीटा निवासी ग्राम पामाखेडी

हाल निवासी हाजीपुर तहसील सिरोंज

जिला विदिशा ---- प्रार्थी

बनाम

अशोक कुमार पुत्र श्रीखुशी लाल चौरसिया

निवासी ग्राम करीमाबाद तहसील सिरोंज

जिला विदिशा --- प्रतिप्रार्थी

आज दि० 5-3-08 को प्रस्तुत।

अवर सचिव राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

निगरानी अंर्तगत धारा 50 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश न्यायालय अपर आयुक्त एवं भोपाल एवं होशंगाबाद संभाग भोपाल प्रकरण क्रमांक 146/निगरानी/06-07 पारित आदेश दिनांक 29-1.08 (29.1.07 गलत टंकन हुआ है)

श्रीमान जी,

प्रार्थी की निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

प्रकरण के तथ्य :-

============

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है विवादित भूमि करीमाबाद स्थित खसरा क्रमांक100 रकबा 2.529 हैक्टर निगरानी कर्ता एवं उसके भाई पूरन को शासन द्वारा पट्टे पर प्राप्त हुई थी। जिसे प्रत्यर्थी द्वारा बजी क्रमांक -3 आदेश दिनांक 24.6.80 को बगैर निगरानी कर्ता एवं उसके भाई को बगैर सूचना दिये इश्तहार निकाले पटवारी, राजस्व निरीक्षक द्वारा नाम पर करालीगई, जिसकी प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी को की गई जो आदेश दिनांक दिनांक 12.9.99 द्वारा अ... बाहय होनेहोने से निरस्त हुईथी द्वितीय अपील माननीय न्यायालय में गई जो प्रकरण क्रमांक 11/अपील/99/2000 पर दर्ज होकर 23.1.02 द्वारा स्वीकार हुई जिसमें माननीय अधिकारी महोदय को समयअवधि में मा...

त
ो
9.10
ो
पील
8 जून
त
निगरानी
ानी
कर
नगरानी
दिनांक
निगरा
ायालय
निरस्ती
ा की
ामे ग्वा0
पश्चात
ा का
आलोच्य
ालय ने
देश
पर प्रश्न
ी को न तो
पर हस्त
होना

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-236-एक/08 जिला - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/01/2019	प्रकरण का अवलोकन किया यह निगरानी आयुक्त भोपाल, संभाग भोपाल के प्रकरण क्रमांक 146/निगरानी/2006-07 में पारित आदेश दिनांक 09.01.2007 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है। 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम करीमाबाद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 100 रकवा 2.529 हे. आवेदक के नाम शासकीय पट्टे पर आबंटित होकर भूमि स्वामी स्वत्व में दर्ज थी। राजस्व निरीक्षक द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 29.04.80 द्वारा अनावेदक के नाम विवादित भूमि का नामांतरण कर दिया। जिसके विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गई, जिसे अवधि वाह्य मानकर निरस्त किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 12.10.99 के विरुद्ध अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के समक्ष द्वितीय अपील पेश की गई जो उनके आदेश दिनांक 23.01.2002 द्वारा स्वीकार किया गया। जिसके विरुद्ध राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की गई जो उनके आदेश दिनांक 19.10.2005 द्वारा निरस्त की गई। अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 23.01.2002 के पालन में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा गुण-दोष पर दिनांक 30.05.2006 को आदेश पारित किया जाकर राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित नामांतरण निरस्त किया गया। जिसके विरुद्ध अनावेदक द्वार अपर कलेक्टर विदिशा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई जो उनके आदेश दिनांक 07.02.2007 द्वारा निरस्त की गई। अपर कलेक्टर के उक्त आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई जो उनके आदेश दिनांक 29.01.2007 द्वारा अस्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि आदि के हस्ताक्षर

न्यायालय में पेश की गई है।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अपर कलेक्टर महोदय ने इस बात को नजरअंदार कर दिया कि इतने लंबे समय को उभयपक्ष के मध्य विभिन्न न्यायालयों जिसमें ग्वा0 माननीय न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण चलने के पश्चात नामांतरण नियमों व संहिता की धारा 165 का उल्लंघन हुआ हो। वहां समझौता कैसेट हो सकता है ऐसी स्थिति में आलोच्य आदेश निरस्त करने योग्य है। उक्त बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय ने मनमानी व रिकॉर्ड के विपरीत निष्कर्ष देने में त्रुटि की है, आदेश निरस्त होने योग्य है।

उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालयों को प्रार्थी की शिक्षा तथा प्रार्थी की जीवनशैली व उसके द्वारा शासन द्वारा प्राप्त नीति के अनुसार पट्टे की भूमि पर मुकदमेबाजी करने, 28 वर्ष बाद वह बिना वजह क्यों राजीनामा करेगा। इस पर विचार किया जाना आवश्यक था जो आलोच्य आदेश में कहीं परिलक्षित नहीं होता है। अत: आलोच्य आदेश इन्हीं आधारों पर निरस्त किए जाने योग्य है।

4/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस में यह तर्क दिए गए हैं कि जहां तक विधि का सारभूत प्रश्न है कि प्रार्थी के द्वारा स्वयं अपने भाई के साथ मिलकर भूमि का वैध विक्रय-पत्र निष्पादित किया गया यदि इस विक्रय-पत्र से किसी भी प्रकार की आपत्ति प्रार्थी को थी तो उसे तत्काल पंजीबद्ध दस्तावेज विक्रय पत्र के विरुद्ध दीवानी न्यायालय में कार्यवाही करना थी, क्योंकि विक्रय-पत्र को शून्य घोषित करने का कानूनी अधिकार केवल व्यवहार न्यायालयों को प्राप्त है, राजस्व न्यायालयों को प्राप्त नहीं है। इसलिए भी निगरानी करने का कोई भी कानूनी औचित्य नहीं हैं। उक्त तथ्यों के आधार पर उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए यह निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।

5/ उभयपक्षों की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अपर

IX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-236-एक/08 **जिला - विदिशा**

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	कलेक्टर ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय 2 अक्टूबर 1980 के पूर्व होकर नामांतरण आदेश पारित किया गया है तथा शासनादेश के तहत 2 अक्टूबर 1980 के पूर्व के पट्टाधारियों को भूमि स्वामी हक प्राप्त हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर द्वारा पूर्व विक्रीत प्रश्नाधीन भूमि को विधि विरुद्ध नहीं मानने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त अपर कलेक्टर विदिशा द्वारा उभयपक्ष के राजीनामा के आधार पर प्रकरण समाप्त कर रिकॉर्ड दुरुस्त किए जाने के आदेश दिए गए हैं। जिसकी पुष्टि अपर आयुक्त ने अपने आदेश में की है। अभिलेख को देखने से यह भी स्पष्ट है कि विक्रय-पत्र को शून्य घोषित करने का कानूनी अधिकार केवल व्यवहार न्यायालयों को प्राप्त है, राजस्व न्यायालयों को प्राप्त नहीं है। ऐसी स्थित में अपर कलेकटर का आदेश विधिसम्मत है, जिसे स्थिर रखे जाने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.01.2007 यथावत रखा जाता है। उभयपक्ष सूचित हों, अभिलेख वापिस हो। **(एम.गोपाल रेड्डी)** **प्रशासकीय सदस्य**	